न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 31/2023

अपीलांट – *बनाम* **रेस्पोडेंट्स–**

अपीलांट	रेस्पोडेंट्स
1. कोयली पुत्री चंदा पत्नी खियाराम 2. जमना पुत्री चंदाराम 3. पंखीया पुत्री चंदाराम जाति विश्नोई निवासी जाम्भाजी का मंदिर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर	1. तहसीलदार धोरीमन्ना 2. रामेश्वरी पत्नी भीखाराम 3. समदा पत्नी मांगीलाल जातियान विश्नोई निवासी जाम्भाजी का मंदिर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 377 दिनांक 31.07.2023 जो तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री करनाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पो0 सं. 2व3 सूचना बावजूद अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 08.07.2025

1. अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम जाम्भाजी का मंदिर पटवार हल्का खारी तहसील धोरीमन्ना के नामान्तरकरण सं. 377 पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 31.07.2023 के विरूद्ध दिनांक 03.08.2023 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा जाम्भाजी का मंदिर पटवार हल्का खारी के खसरा नं[illegible] रकबा 5–6008 हैक्टेयर भूमि खातेदार अपीलांट्स के पिता चन्दाराम [illegible] खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदार अपीलांट्स के पिता चन्दाराम की फौत होने पर पांच [illegible] तीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:47:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पुत्रीया का पैतृक आराजी में प्रत्येक जीवित संतान का 1/8–1/8 बराबर का हक हिस्सा होता है परन्तु अपीलांट्स के भाईयों ने उक्त आराजी भूमि अपने नाम दर्ज कर दी गई। अपीलांट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया परन्तु वाद दर्ज होने से पूर्व जोधा द्वारा सम्पूर्ण आराजी बिना प्रतिफल किसी तृतीय पक्षकार के नाम एक बेचाननामा दिनांक 27.12.2019 को निष्पादित कर दिया उक्त बेचाननामा की जानकारी अपीलांट को नहीं होने दी तथा अपीलांट्स के द्वारा वाद दिनांक 27.02.2020 को न्यायालय द्वारा स्थगन जारी कर दिया। इस स्थगन व अपीलांट्स के भाई मालाराम व अन्य द्वारा दिनांक 27.12.2019 को एक अन्य स्थगन होने से नामान्तरकरण पारित नहीं हुआ उक्त मालाराम द्वारा वाद दिनांक 26.12.2019 को वाद पेश कर दिया जिसमें 27.12.2019 को स्थगन आदेश पारित किया गया। इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा स्थगन की प्रति नहीं लेकर पहले बेचाननामा निष्पादित कर दिया। इस बेचाननामा पंजीबद्व दस्तावेजो के आधार पर उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना द्वारा दिनांक 21.07.2023 को अप्रार्थी संख्या 2व3 के पक्ष में नामान्तरकण को पारित करने की अनुज्ञा दी गई जिसकी अनुपालना में तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा उक्त नामान्तरकण आदेश पारित किया गया। उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील संख्या 31/2023 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपीलांट ने तहसीलदार धोरीमन्न द्वारा उक्त नामान्तरकरण के स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 03.08.2023 को प्रस्तुत की गई हैं।

3. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली [illegible] अपीलांट्स के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट्स के [illegible] किया कि मौजा जाम्भाजी का मंदिर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:47:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पटवार हल्का खारी के खसरा नंबर 158 रकबा 5–6008 हैक्टेयर भूमि खातेदार अपीलांट्स के पिता चन्दाराम के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदार अपीलांट्स के पिता चंन्दाराम की फौत होने पर पांच पुत्र व तीन पुत्रीया का पैतृक आराजी में प्रत्येक जीवित संतान का 1/8–1/8 बराबर का हक हिस्सा होता है परन्तु अपीलांट्स के भाईयों ने उक्त आराजी भूमि अपने नाम दर्ज कर दी गई। अपीलांट्स के द्वारा वाद दिनांक 27.02.2020 को न्यायालय द्वारा स्थगन जारी कर दिया। इस स्थगन व अपीलांट्स के भाई मालाराम व अन्य द्वारा दिनांक 27.12.2019 को एक अन्य स्थगन होने के बावजूद उतरदाता संख्या 1 ने नामान्तरकरण संख्या 377 गलत रूप से तृतीय पक्षकार के नाम एक बेचाननामा दिनांक 27.12.2019 के आधार पर उतरदाता संख्या 2व3 के नाम नामान्तरकरण पारित करने में कानूनी रूप से भारी भूल की है जिससे आलौच्य नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की उक्त अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 377 अपास्त करते हुए उपरोक्त खसरे में पूर्व स्थिति बहाल करने हेतु आदेश फरमावें।

5. रेस्पोडेंट्स संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता दौरान सुनवाई अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुनवाई अमल मे लाई गई।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता हैं कि मौजा जाम्भाजी का मंदिर पटवार हल्का खारी के खसरा नंबर 158 रकबा 5–6008 हैक्टेयर भूमि खातेदार अपीलांट्स के पिता चन्दाराम के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदार अपीलांट्स के पिता चंन्दाराम की फौत होने पर पांच पुत्र व [illegible] में प्रत्येक जीवित संतान का 1/8–1/8 बरा[illegible] परन्तु अपीलांट्स के भाईयों ने उक्त आराजी भू[illegible] कर दी गई। अपीलांट्स द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:47:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया परन्तु वाद दर्ज होने से पूर्व जोधा द्वारा सम्पूर्ण आराजी बिना प्रतिफल किसी तृतीय पक्षकार के नाम एक बेचाननामा दिनांक 27.12.2019 को निष्पादित कर दिया उक्त बेचाननामा की जानकारी अपीलांट को नहीं होने दी तथा अपीलांट्स के द्वारा वाद दिनांक 27.02.2020 को न्यायालय द्वारा स्थगन जारी कर दिया। इस स्थगन व अपीलांट्स के भाई मालाराम व अन्य द्वारा दिनांक 27.12.2019 को एक अन्य स्थगन होने से नामान्तरकरण पारित नहीं हुआ उक्त मालाराम द्वारा वाद दिनांक 26.12.2019 को वाद पेश कर दिया जिसमें 27.12.2019 को स्थगन आदेश पारित किया गया। इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा स्थगन की प्रति नहीं लेकर पहले बेचाननामा निष्पादित कर दिया। इस बेचाननामा पंजीबद्व दस्तावेजो के आधार पर उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना द्वारा दिनांक 21.07. 2023 को अप्रार्थी संख्या 2व3 के पक्ष में नामान्तरकण को पारित करने की अनुज्ञा दी गई जिसकी अनुपालना में तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा उक्त नामान्तरकण आदेश पारित किया गया। उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील संख्या 31/2023 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपीलांट ने तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा उक्त नामान्तरकरण के स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 03.08.2023 को प्रस्तुत की गई हैं। अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन है कि उक्त खातेदार अपीलांट्स के पिता चन्दाराम की फौत होने पर पांच पुत्र व तीन पुत्रीया का पैतृक आराजी में प्रत्येक जीवित संतान का 1/8–1/8 बराबर का हक हिस्सा होता है परन्तु अपीलांट्स के भाईयों ने उक्त आराजी भूमि अपने नाम दर्ज कर दी गई। अपीलांट्स के द्वारा वाद दिनांक 27.02.2020 को न्यायालय द्वारा स्थगन जारी कर दिया। इस स्थगन व अपीलांट्स के भाई म[illegible]राम व अन्य द्वारा दिनांक 27.12.2019 को एक अन्य स्थगन [illegible] संख्या 1 ने नामान्तरकरण संख्या 377 गलत रूप से तृतीय पक्षका[illegible] नाम एक बेचाननामा दिनांक 27.

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:47:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

12.2019 के आधार पर उतरदाता संख्या 2व3 के नाम नामान्तरकरण पारित करने में कानूनी रूप से भारी भूल की है जिससे आलौच्य नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की उक्त अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 377 अपास्त करते हुए उपरोक्त खसरे में पूर्व स्थिति बहाल करने हेतु आदेश फरमावें। अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रकट तथ्यों एवं अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट्स के भाई मालाराम द्वारा वाद दिनांक 26.12.2019 को पेश किया जिसमें 27.12.2019 को स्थगन होने के बावजूद उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना द्वारा अपने ही आदेश को रिव्यु/उलट कर उतरदाता संख्या 2व3 के पक्ष में नामान्तरकरण पारित करने की अनुज्ञा दिया जाना अवैध है तथा इसके अनुसरण में पारित तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 377 दिनांक 31.07.2023 विधिविरूद्ध है जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मौजा जाम्भाजी का मंदिर के स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 377 को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार धोरीमन्ना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि प्रकरण में निहित विवाद बिन्दु का सक्षम सहायक कलक्टर (एसडीओ) धोरीमन्ना में विचाराधीन वाद के अंतिम निस्तारण उपरांत नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:47:39 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर